प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला SIW भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.........116../2023......दिनांक..................12/5/2023..

2. (I) अधिनियम ... धारायें:– धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018)
(II) अधिनियम ....धारायें ....
(III) अधिनियम .... धारायें ....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....251 समय ....5:20 PM
(ब) अपराध घटने का वार.....गुरूवार.....दिनांक 11.05.2023 समय 4.50 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 10.05.2023

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक– लिखित

5. घटनास्थल :– कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– बजानिब उत्तर दिशा में करीब 5 कि0मी0
(ब) पता........ कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, लालकोठी जयपुर।
..............................बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना..जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नामः– श्री नितिन त्रिपाठी ....
(ब) पिता/पति का नामः– श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष............उम्र 31 साल..
(द) राष्ट्रीयताः– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्याः– जारी होने की तिथि ....जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसायः–कोचिंग संचालक
(ल) पताः– सी–605, अनुकम्पा प्लेटिना, मानसरोवर एक्सटेंशन, मुहाना मंडी रोड जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
श्री दीपचंद सैनी पुत्र श्री सेडूराम सैनी, जाति माली, उम्र 36 साल, निवासी ठाठर कॉलोनी, बुलाका की ढाणी आमेर जयपुर हाल सहायक राजस्व निरीक्षक नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
रिश्वती राशि 25,000/– रूपये

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... **रिश्वती राशि 25,000/–रूपये**

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 10.05.2023 को अति0 पुलिस अधीक्षक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री नितिन त्रिपाठी पुत्र श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी, निवासी सी–605, अनुकम्पा प्लेटिना, मानसरोवर एक्सटेंशन, मुहाना मंडी रोड जयपुर से परिवादी के रूप में व उनके साथ श्री सागर जोशी पुत्र श्री भुवनेश्वर जोशी, जाति ब्राहम्ण, उम्र 42 साल निवासी 23 सी 52 सीएचबी पालरोड जोधपुर से परिचय करवाते हुए, परिवादी श्री नितिन त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम पृष्ठांकित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री नितिन त्रिपाठी व श्री सागर जोशी को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा प्रार्थना पत्र को अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसआईडब्लू, ए.सी.बी. जयपुर को सम्बोधित किया गया है। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री नितिन त्रिपाठी ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है व इसपर मेरे हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसमें अंकित तथ्य सही है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि "मैं नितिन त्रिपाठी निवासी सी–605, अनुकम्पा प्लेटिना, मानसरोवर एक्सटेंशन, मुहाना मंडी रोड जयपुर का रहने वाला हूँ। वर्तमान मैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल बापू नगर में केन्द्र निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। दिनांक 06.05.2023 को हमारे केन्द्र पर कुछ नगर निगम के कर्मचारी आये थे एवं कहा कि आपके केन्द्र पर कम्पनी से सम्बंधित जो भी बोर्ड लगे हुऐ हैं एवं पोल पर भी हमारी कम्पनी के बोर्ड लगे हुए हैं, इनके लिए कहा के यह अवैध हैं, हम इसको हटायेंगे अगर आप नहीं हटवाना चाहते हैं तो आप हमारे अधिकारी श्री दिपचन्द्र सैनी से आकर मिलें, एवं वह लोग पोल पर लगे हुए हमारी कम्पनी के कुछ बोर्ड भी जब्त करके ले गये। उसी दिन मैं नगर निगम जाकर दिपचन्द्र से मिला, नगर निगम के कर्मचारियों के बताये नम्बर पर सम्पर्क किया तो श्री दिपचन्द्र ने हमें नगर निगम के बाहर रूकने को कहा एवं कुछ देर बाद वह नगर निगम से बाहर रोड पर आ गया, दिपचन्द्र मुझे मिला एवं सेन्टर पर लगे बोर्ड के सम्बंध में डराया धमकाया एवं लम्बी चौडी पेनल्टी का हवाला दिया एवं स्वयं को रेवेन्यू इंस्पेक्टर बताया एवं रिश्वत के रूप में 1,00,000/– रू की डिमांड की एवं पैसे देने पर जब्त बोर्ड भी वापस लौटोने को कहा। मैने इस सम्बंध में डायरेक्टर श्री सागर जोशी को बताया तो हमनें आपस में विचार विमर्श कर रिश्वत नहीं देने का निर्णय लिया है एवं मैं व श्री सागर जी आपके कार्यालय में शिकायत लेकर आये हैं। मैं श्री दिपचन्द्र को रिश्वत राशि नहीं देकर रंगे हाथों पकड़वाना चाहता

हूँ। श्री दिपचन्द्र से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी अथवा रंजिश नहीं है एवं पूर्व में किसी प्रकार का कोई पैसे का लेन देन नहीं है''। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु दिनांक 10.05.2023 को कार्यालय के श्री लक्ष्मीनारायण कानि 258 का परिवादी श्री नितिन त्रिपाठी व उनके साथ श्री सागर जोशी से आपस में परिचय करवाकर उन्हें कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर उपलब्ध करवाया गया तथा आवश्यक हिदायत दी जाकर गोपनीय मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात सायं 5.30 बजे परिवादी श्री नितिन त्रिपाठी व उनके साथी श्री सागर जोशी एवं श्री लक्ष्मीनारायण कानि मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष कार्यालय में उपस्थित आये।

श्री लक्ष्मीनारायण कानि. ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर अवगत करवाया कि आपके निर्देशानुसार मैं और श्री सागर जोशी एवं परिवादी श्री नितिन त्रिपाठी ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर संदिग्ध आरोपी के कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर पहुंचे, जहां पर परिवादी के वार्ता हेतु संदिग्ध के पास जाने से पूर्व मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दे दिया था। परिवादी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर संदिग्ध के पास वार्ता हेतु गया था तथा परिवादी ने संदिग्ध के साथ हुई वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया तथा बाद वार्ता रिकॉर्डर मुझे लाकर दिया था जिसे मैने बन्द किया था। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने श्री लक्ष्मीनारायण कानि. की बातों की ताईद करते हुऐ बताया कि मैं और श्री सागर जोशी व श्री लक्ष्मीनारायण ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर संदिग्ध आरोपी के कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर पहुंचे, जहां श्री लक्ष्मीनारायण कानि. ने रिश्वत मांग सत्यापन हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड चालू कर मुझे सुपुर्द किया था। फिर मैने जरिये मोबाईल आरोपी से वार्ता की तो आरोपी ने मुझे कहा कि मैं नगर निगम कार्यालय के बाहर रोड पर ही आ रहा हूं आप मुझे वहीं मिलना, कुछ देर बाद संदिग्ध आरोप नगर निगम कार्यालय के बाहर मेरे पास आ गया था जहां पर मेरी व श्री सागर जोशी की संदिग्ध आरोपी से मेरे प्रकरण के बारे में वार्ता हुई तो आरोपी ने हमारे सैन्टर व आसपास के एरिया में पोल पर हमारी कोचिंग से सम्बंधित जो भी बोर्ड लगे हुऐ हैं उनको अवैध बताकर लम्बी चौडी पेनल्टी लगाने की कहकर हमें धमकाया और हमारी कोचिंग लॉ प्रेप ट्यूटोरियल से सम्बंधित बोर्ड लगाने की एवज में 30,000/–रूपये मासिक बंधी की मांग की है, जिस पर मैंने रिकवेस्ट कर कुछ रूपये कम करने व 20,000/–देने के लिए कहा तो 25,000/–रूपये में फाईनल हुआ है और आरोपी ने उक्त 25,000 रूपये कल दिनांक 11.05.2023 को देने के लिए कहा है। मेरे और संदिग्ध के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड की है। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोडकर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना सत्यापित हुआ। डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मेरी आलमारी में रखा गया। तथा परिवादी श्री नितिन त्रिपाठी को दिनांक 11.05.2023 को प्रातः 10.00 बजे रिश्वत राशि सहित मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात अन्य कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री रविन्द्र कुमार महावर व श्री विनोद कुमार मीणा को जरिये मोबाईल दिनांक 11.05.2023 को प्रातः 10.00 बजे कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 11.05.2023 को परिवादी श्री नितिन त्रिपाठी व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रविन्द्र कुमार महावर, पटवारी पटवार मण्डल दांतली व श्री विनोद कुमार मीणा पटवारी पटवार मण्डल बीलवा कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर के उपस्थित आने पर परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर उनके समक्ष डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कम्प्यूटर की सहायता से सुनाया जाकर हस्बकायदा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन मुर्तिब की गई। तथा कम्प्यूटर की सहायता से पांच सीडियां तैयार की जाकर, चार सीडियों को शील्ड मोहर किया गया तथा एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुली रखा गया व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को निकलवाकर सील्ड मोहर किया गया। उसके बाद दोपहर 2.00 बजे दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री नितिन त्रिपाठी को संदिग्ध आरोपी श्री दीपचंद सैनी, सहायक राजस्व निरीक्षक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 50 भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 25,000/–रूपये निकाल कर, गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये गये। उपरोक्त सभी 500–500 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 25,000/–रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु श्री कल्याण सहाय कानि नं. 383 से कार्यालय हाजा की आलमारी से फिनोफ्थीलन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री नितिन त्रिपाठी की जामा तलाशी गवाह श्री रविन्द्र कुमार महावर से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 25,000/–रू0 के नोट सीधे ही श्री कल्याण सहाय कानि. से परिवादी श्री नितिन त्रिपाठी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुवे व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर रिश्वत के लेन–देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री कल्याण सहाय कानि जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने

हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर आरोपी इन नोटों को अपने हाथों से छुयेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस श्री कल्याण सहाय कानि से कार्यालय की आलमारी में रखवायी जाकर अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर श्री कल्याण सहाय कानि के हाथों व गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री कल्याण सहाय कानि. 383 को कार्यालय में ही रहने की हिदायत कर यहीं छोडा गया। रिश्वत लेन–देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात सांय 4.30 बजे परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि अभी कुछ समय पहले मेरी जरिये मोबाईल संदिग्ध आरोपी से वार्ता हुई है जिसने मुझे कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर में स्थित साईं मंदिर के सामने मेन टोंक रोड पर खुलने वाले रोटेटिंग गेट के पास बुलाया है, जिसपर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, ट्रैप पार्टी सदस्य मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही सरकारी/निजी वाहनों से रवाना होकर सांय 4.40 बजे कार्यालय नगर निगम ग्रेटर के पास पहुंचे, जहां मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वाहनों को साईड में खडे करवाकर स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को गाडी से नीचे उतरवाकर, टोंक रोड पर स्थित उक्त कार्यालय के गेटों के आस–पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत देते हुये परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास जाने हेतु रवाना कर ट्रैप हेतु जाल बिछाया। उसी वक्त श्री लक्ष्मीनारायण कानि. ने अवगत करवाया कि मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दे दिया है।

तत्पश्चात सांय 4.50 बजे परिवादी श्री नितिन त्रिपाठी ने नगर निगम ग्रेटर जयपुर में स्थित साईं मंदिर के सामने मेन रोड पर खुलने वाले रोटेटिंग गेट से बाहर निकलते हुए पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर करने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान तथा जाप्ते को साथ लेकर परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पेश किया जिसको मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बन्द कर सुरक्षित कब्जा लिया गया, परिवादी ने साथ–साथ उक्त गेट के अन्दर प्रवेश करते हुए सामने खडे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये ही दीपचंद सैनी आरआई हैं जिन्होंने अभी अभी मुझ से हमारी कोचिंग लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के बापू नगर केन्द्र पर व उसके आस पास के एरिया में लगे हुए होर्डिंग्स को नहीं हटाने, हटाकर ले जाये गये होर्डिंग्स को वापस करने व उक्त होर्डिंग्स के सम्बंध में जुर्माना नहीं लगाने एवं इस सम्बंध में मेरे व हमारी संस्था के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने की एवज में इनकी पूर्व मांगनुसार 25,000 रूपये रिश्वत के रूप में लिए हैं, इन्होंने मुझसे पैसे लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की आगे वाली जेब में रखे हैं। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान व हमराही जाप्ते ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपना व दोनों स्वतन्त्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे परिचय पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम श्री दीपचंद सैनी पुत्र श्री सेडूराम सैनी सहायक राजस्व निरीक्षक नगर निगम ग्रेटर, जयपुर होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा कि आपने अभी–अभी इनसे रूपये लिये हैं तो उसने घबराते हुए बताया कि अभी–अभी ये नितिन मेरे पास आये थे, मैने इनके बोर्ड नहीं हटाने व हटाये गये बोर्ड वापस करने की एवज में 25 हजार रूपये लिए हैं यह खुद ही मेरे पास आये थे और इन्होंने खुद ही मुझे बोर्ड (होर्डिंग) नहीं हटाने व पूर्व में जब्त होर्डिंग को वापस करने की एवज में मुझे 25 हजार रूपये देने की कहा था, इसलिए इन्होंने आज मुझे उक्त 25 हजार रूपये दिये हैं, जो मैने मेरी पेन्ट की जेब में रखे हैं। इस पर वहां उपस्थित परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए कहा कि मैने खुद चलाकर इन्हें 25 हजार रूपये देने के लिए नहीं कहा इन्होंने 30 हजार रूपये की मांग की थी तो मैने इनसे रिक्वेस्ट कर कुछ रूपये कम करने की कहते हुए 20 हजार रूपये देने के लिए कहा था इसपर इन्होंने 25 हजार रूपये में फाईनल किया था। जिसको मैने आप द्वारा दिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करके भी आपको दिया था, उक्त 25,000 रूपये मैंने आज इनके मांगने पर इनको दिये हैं। इस पर आरोपी को यथा स्थिति हमराह साथ लेकर आरोपी के कार्यालय कक्ष कमरा नं0 122 कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर में लेकर आये। इसके पश्चात श्री दीपचंद सैनी एआरआई ने पूछने पर बताया कि मेरा नाम दीपचंद सैनी पुत्र श्री सेडूराम सैनी जाति माली, उम्र 36 साल निवासी ठाठर कॉलोनी बुलाका की ढाणी आमेर जयपुर हाल सहायक राजस्व निरीक्षक नगर निगम ग्रेटर, जयपुर है।

इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का गिलास निकाल कर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री दीपचंद सैनी एआरआई के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग

हल्का गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री दीपचंद सैनी एआरआई को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.–1 व आर.–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद एक दूसरे साफ कांच के गिलास में पुनः पूर्वानुसार साफ धुलवाकर पानी भरवाया गया एवं उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाकर घोल में श्री दीपचंद सैनी एआरआई के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गंदमैला हो गया जिसे उपस्थित दोनो गवाहान व श्री दीपचंद सैनी को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री विनोद कुमार मीणा से आरोपी श्री दीपचंद सैनी की तलाशी लिवाई गई तो उसके द्वारा पहनी हुई पेन्ट की आगे वाली दाहिनी साईड की जेब में 25,000 रूपये मिले, जिनको गिनकर दोनों गवाहान ने 500–500 रूपये के 50 नोट, कुल 25,000 रू0 होना बताया।

दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त सभी नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर हूबहू उसी नम्बर के 25,000 रू0 के नोट होना पाये गये। बरामद शुदा 25,000/–रू0 को एक सफेद कागज में सील मोहर करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी को पहनने हेतु दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाई जाकर पहनी हुई पेन्ट को निकलवाया जाकर पेन्ट की आगे वाली दाहिनी जेब के धोवन हेतु एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का खाली गिलास निकालकर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री दीपचंद सैनी की पेन्ट की दाहिनी साईड की आगे वाली जेब जिसमें रिश्वत राशि रखी हुई थी उस जेब को बाहर निकालकर उल्टा कर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री दीपचंद सैनी को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा श्री दीपचंद सैनी की पेन्ट की उक्त जेब को सुखाया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क–पी अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी से परिवादी की कोचिंग लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के बापू नगर केन्द्र व उसके आस पास से हटाकर लाये गये होर्डिंग्स व उससे सम्बंधित कार्यालय रिकॉर्ड के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के बापू नगर केन्द्र व उसके आस पास से पोल से हटाकर लाये गये होर्डिंग्स नीचे बेसमेन्ट में बने स्टोर रूम में रखे हुए है जिसकी चाबी मेरे पास ही है। मैं स्टोर में चलकर आपको उक्त होर्डिंग्स उपलब्ध करवा दूंगा तथा उक्त होर्डिंग्स के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई कार्यालय रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है। इसके बाद परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को हमराह लैपटाप से जोडकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई।

तत्पश्चात आरोपी श्री दीपचंद सैनी पुत्र श्री सेडूराम सैनी, जाति माली, उम्र 36 साल, निवासी ठाठर कॉलोनी, बुलाका की ढाणी आमेर जयपुर हाल सहायक राजस्व निरीक्षक नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। उसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष आरोपी की निशानदेही पर उसके बतायेनुसार नगर निगम ग्रेटर जयपुर के कार्यालय स्थित बेसमेन्ट में बने स्टोर रूम से परिवादी की कोचिंग लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के बापू नगर केन्द्र व उसके आस पास पोल से हटाकर लाये गये 20 होर्डिंग्स को जरिये फर्द जब्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेनदेन रिकॉर्ड की गई वार्ताओं का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाये जाने हेतु अपनी आवाज का नमूना उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया, जिसपर आरोपी द्वारा अपनी नमूना आवाज उपलब्ध करवाने से इंकार कर दिया गया, जिसकी फर्द प्राप्ति नमूना आवाज पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 12.05.2023 को प्रातः 10.00 बजे परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष, परिवादी व आरोपी श्री दीपचंद सैनी के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन दिनांक 11.05.2023 को हुई वार्ता जो सरकारी डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा वार्ता को गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया तथा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई। तत्पश्चात वार्ता की सीडी बनवाने हेतु पांच खाली सीडीयां मंगवायी जाकर पांचो सीडियों को खाली होना सुनिश्चित कर बारी–बारी कम्प्यूटर की सहायता से रिकॉर्डशुदा वार्ता की पांच अलग–अलग सीडियां तैयार की गई तथा चार सीडियों को सील्ड मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया व एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को निकलवाकर सील्ड मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द ट्रांस्क्रिप्ट वक्त रिश्वत लेन देन पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रैप कार्यवाही से आरोपी श्री दीपचंद सैनी, सहायक राजस्व निरीक्षक नगर निगम ग्रेटर, जयपुर ने लोकसेवक के पद पर रहते हुये, अपने पद का दुरूपयोग कर, भ्रष्ट तरीके से परिवादी की कोचिंग संस्थान लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के बापू नगर केन्द्र पर व उसके आस पास के एरिया में पोल पर लगे हुए होर्डिंग्स को अवैध बताते हुए भारी भरकम जुर्माना लगाये जाने एवं परिवादी व उसकी कोचिंग संस्थान के विरूद्ध कार्यवाही करने की धमकी देते हुए उक्त लगे हुए होर्डिंग्स को नहीं हटाने, हटाकर ले जाये गये होर्डिंग्स को वापस करने तथा होर्डिंग्स के सम्बंध में जुर्माना नहीं लगाते हुए परिवादी व उसकी कोचिंग संस्था के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने तथा उक्त होर्डिंग्स लगाने की एवज में मांग सत्यापन

दिनांक 10.05.2023 के अनुसार परिवादी से 25,000 रूपये की राशि रिश्वत के तौर पर मांग करने तथा दिनांक 11.05.2023 को परिवादी से उक्त 25 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये रंगे हाथों पकड़े जाने से आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री दीपचंद सैनी पुत्र श्री सेडूराम सैनी, जाति माली, उम्र 36 साल, निवासी ठाठर कॉलोनी, बुलाका की ढाणी आमेर जयपुर हाल सहायक राजस्व निरीक्षक नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

(चित्रगुप्त महावर)
उप अधीक्षक पुलिस
स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री चित्रगुप्त महावर, उप अधीक्षक पुलिस, एस.आई.डब्ल्यू. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दीपचन्द सैनी, सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 116/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार जारी की गई।

12.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 873-76 दिनांक 12.5.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. बोर्ड/कार्यकारिणी समिति, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर।

12.5.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।